OFF. RESI.
V.C.: 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–208024
KALYANPUR, KANPUR-208024

Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/ 534/2017 Dated 16 /07 /2017

सेवा में, **आवश्यक / समयबद्ध**

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी

....

....

विषयः **शैक्षिक सत्र 2017–2018 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पिता/माता एवं विधिक अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया **दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्तर सुदृढ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2017–18 में आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रकिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र दिनॉक 01.07.2017 से 01. 11.2017 तक, आनलाइन ही स्वीकार किये जायेगें । विद्यार्थियो द्वारा आनलाइन किये गये आवेदन की हार्ड कापी के साथ समस्त अनुलग्नको के साथ 06 दिवसों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में स्वीकार किये जायेगें । उक्त तिथियों के पश्चात छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें ।
2. **माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परिसर में संचालित समस्त पाठ्यकमों के निदेशक / विभागाध्यक्षों / प्रभारियों को निर्देशित किया जाय कि छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर प्रदर्शित समस्त वर्गो के शासनादेशों / निर्देशों के अनुरूप ही, छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करें**
3. माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परिसर में संचालित समस्त पाठ्यकमों के निदेशक / विभागाध्यक्षों / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के सुगम संचालन हेतु विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विवरण **हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति / आय / निवास प्रमाण पत्र का कमांक, आवेदक द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम का प्रकार (स्ववित्तपोषित / नियमित), आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, खाता संख्या तथा खाता संख्या से आधार नम्बर लिंक होने की अनिवार्यता, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र के आनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी को छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के लिये अग्रसारित करेगें ।**
4. कई वर्षो की अवधि वाले पाठ्यकमों में यदि छात्र / छात्रा किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा । विभाग पात्र छात्रों को यह अवगत करा दे कि छात्र / छात्रा को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि नियमावली में दी गयी व्यवस्था / वरीयताक्रम के अनुसार धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सीधे छात्र / छात्रा के बैंक खाता में अन्तरित की जायेगी ।
5. बैंक खाते के सम्बन्ध में सभी छात्र / छात्राओं को विभाग द्वारा यह अवगत करा दिया जाये कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के0वाई0सी0 पूर्ण स्वयं का खाता हो तथा छात्र / छात्रा के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो रहा हो एवं छात्र / छात्रा को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र / छात्रा के खाते में आनलाइन अन्तरित के लिये कोई सीमा निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये । कभी–कभी छात्र / छात्राओं द्वारा बन्द खाते का अंकन भी आवेदन पत्र में किया जा रहा है जिससे धनराशि अन्तरण सम्भव नही हो पाता है ।
6. विभागों द्वारा पात्र छात्र / छात्राओं के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यार्थीवार स्पष्ट कारण यथा–छात्र / छात्रा परीक्षा में असफल हुआ या संस्थान छोडकर चला गया आदि का अनिवार्य रूप से

स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित करके नोडल अधिकारी को दिनॉक 15.11.2017 से 15.12.2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

7. नये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा । यह मुख्य रूप से आय, जाति, प्रमाण पत्र के क्रमांक की प्रविष्टि में त्रुटि, हाईस्कूल के रोल नम्बर की प्रविष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी जिसे छात्र/छात्रा सही करके पुनः विभाग से अग्रसारित करा कर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में जमा करेगा ।

8. राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/छात्रा के लागिन पर दिनॉक 05.12.2017 से 15.12.2017 तक प्रदर्शित किया जायेगा और आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्रा द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा । सही किये गये आवेदन पत्र का छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट विभाग से अग्रसारित कराते हुये उक्त निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा ।

9. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खाते खोले जायें।

10. अभ्यर्थी को आनलाइन **submitted** आवेदन पत्र के सुस्पष्ट प्रिन्टआउट के साथ निम्नॉकित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आनलाइन **submit<u>करने के पश्चात 06 दिनों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में जमा करना होगा</u>** ।

   (क) आनलाइन किया गया आवेदन पत्र फोटो एवं हस्ताक्षर सहित निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा इस आशय से अग्रसारित किया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित आनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिरहित है तथा छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है ।
   (ख) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
   (ग) जाति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
   (घ) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ ।
   (च) यदि दो कक्षाओं के बीच समय अन्तराल हो तो तदआशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित ।
   (छ) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गये खाता के पास बुक की सुस्पष्ट छाया प्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित की जा सके ।
   (ज) समस्त जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति
   (झ) अभ्यर्थी के माता–पिता एवं विधिक अभिभावक द्वारा **10=00 रूपये के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर** पर शपथ पत्र (शपथ पत्र का संलग्न नमूने के अनुरूप होना अनिवार्य है।)
   (ञ) यू0पी0टी0यू0 द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थी को अपने कालेज आवंटित सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है।

11. विद्यार्थियों ने आनलाइन आवेदन पत्र हार्ड कापी समस्त संलग्नको को निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा सत्यापित करने से पूर्व निम्नानुसार सुनिश्चित करें कि–
   1. विभाग द्वारा प्रेषित छात्रवृत्ति के मॉग पत्र में एक भी विद्यार्थी अपात्र एवं फर्जी नही है।
   2. प्रत्येक छात्र से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अलग –अलग पत्रावली में सुरक्षित रखा गया है, जिसे निरीक्षण के समय तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ।
   3. प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित दर्ज कराता है ।
   4. प्रत्येक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के स्तर पर आयोजित परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है अथवा करेंगें ।
   5. विद्यार्थियों के खाता संख्या/बैंक विवरण सही है जिसका विभाग स्तर से मिलान कर लिया गया है ।
   6. जाति, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग की वेबसाइट से सत्यापित करा लिया गया है ।
   7. प्रत्येक विद्यार्थी के हाईस्कूल, इण्टर तथा ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान विभाग द्वारा कर लिया गया है ।
   8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पात्र विद्यार्थियों से शुल्क जमा नही कराया गया है। उपरोक्त में कोई तथ्य छुपाया नही जा रहा है । गलत तथ्य देने पर विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्यवाही से संस्था को कोई आपत्ति नही रहेगी ।

12. आनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात वेबसाइट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई भी आवेदन किया जाना सम्भव नही होगा ।

13. अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपदीय कोषागार **e-payment** प्रक्रिया के तहत **NEFT/RTGS** से सीधे प्रेषित की जायेगी, जिससे पात्र विद्यार्थियों को सुगमता एवं शीध्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी ।

14. शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि सन्निकट आने का इन्तजार न किया जाय, निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा कि कोई पात्र छात्र/छात्रा आनलाइन आवेदन करने से छूटने न पाये ।

15. छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पडने पर विद्यार्थी के सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाये ।

16. शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि आनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता एवं सुगम संचालन हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक/ विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि अपने विभाग के सूचना पट एवं अधिकृत स्थानों पर चस्पा करें ।

17. आवेदित विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आनलाइन त्रुटिविहीन आवेदन करें । आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि–मेरे द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन किया गया आवेदन पत्र सही भरा गया है, **यदि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि निकलती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी ।** (प्रारूप संलग्न है।)

उपर्युक्त प्रकिया को सुचारू एवं व्यवधानरहित बनाने हेतु परिसर में संचालित प्रत्येक विभाग में एक उप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये, जिसका उत्तरदायित्व छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ से सामंजस्य स्थपित कर छात्रवृत्ति के आवेदन का साम्यक निस्तारण सुनिश्चित करेगें ।

संलग्नक –यथोपरि ।

भवदीय

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को अवलोकनार्थ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
4. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आश से प्रेषित कि अविलम्ब विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
6. वैयक्तिक सहायक वित अधिकारी ।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
8. आदेश पत्रावली ।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

शपथ पत्र

सेवा में, दिनॉक:– / /2017

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,

कानपुर।

1. मै शपथकर्ता...पुत्र श्री ....पता ....

....का मूल निवासी हूँ ।

2. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मै ....पुत्र श्री...
सरकारी/अर्द्धसरकारी/उद्योग/कृषि कार्य करता/करती हूँ। (सेवारत संस्थान का पूर्ण पता)

3. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की समस्त श्रोतों से मासिक आय रू0..............................
एवं वार्षिक आय रू0...है ।

4. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या...जिला.......
....................के तहसील ....द्वारा निर्गत है, जो कि सही है ।

5. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री ....संस्थान ....
....छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय मे सत्र 2017–18 की कक्षा..................
..........................का अध्ययनरत छात्र/छात्रा है ।

6. मै ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि किसी अन्य संस्थान से अधूरा कोर्स छोड कर नही आया/आयी हूँ । अन्यथा की स्थिति में मै...छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा नही करूगा/करूगीं ।

7. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि यदि वर्तमान सत्र के कक्षा में मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम हुयी तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार समाज कल्याण विभाग को वापस कर दूगा/दूगी ।

8. मै शपथकर्ता ....पुत्र/पुत्री श्री...
घोषणा करता/करती हूँ कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोइ त्रुटि नही है । यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी । छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ उत्तरदायी नही होगा ।

छात्र/छात्रा के पिता/माता के हस्ताक्षर

पिता/माता न होने की दशा में विधिक अभिभावक के

हस्ताक्षर

शपथकर्ता छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर...

नाम ....

पता ....

नोट:– उपरोक्त शपथ पत्र रू010/– के स्टाम्प पेपर पर छात्र/छात्रा के पिता/माता अथवा दोनो के जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया जायेगा, यदि कोई छात्र/छात्रा उक्त शपथ पत्र नही देता है तो उसका छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–208024
KALYANPUR, KANPUR-208024

Ref. No.: CSJMU/SC/ST CELL/532/2017

Dated 01 /07/2017

सेवा में,
प्राचार्य / प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

विषयः– **शैक्षिक सत्र 2017–18 में छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यकमों की निर्धारित सीटों की संख्या एवं निर्धारित शुल्क संरचना आदि को छात्रवृत्ति के पोर्टल पर ऑनलाइन कर डिजिटली लॉक कर समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शासन के विज्ञापन एवं शैक्षिक सत्र 2017–18 में दशमोत्तर कक्षाओं के अन्तर्गत समाहित पाठ्यकम का मास्टर डाटा बनाने हेतु समय–सारणी, पत्र संख्या–65 / 2017 / 1017 / 26–3–2017–4(358) / 07 टी0सी0 दिनॉक 27.04.2017 एवं विज्ञापन 2017–18 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि–

1. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डेटाबेस में वही शिक्षण संस्थान सम्मिलित होगें जिनकी संचालित पाठ्यकमों की मान्यता / सम्बद्धता दिनॉक 30.06.2017 तक प्राप्त हो चुकी होगी ।
2. शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य / निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर, ई मेल, पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा । मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य / निदेशक तथा नोडल अधिकारी के डिजिटल / सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपने–अपने महाविद्यालय मे कोर्स एवं कोर्स का प्रकार, कोर्स में सीटों की संख्या, शुल्क संरचना इत्यादि विवरण छात्रवृत्ति के पोर्टल पर आनलाइन कर डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा लॉक कर, सम्बद्धता सम्बन्धी अभिलेख, आवंटित सीटों का सप्रमाण विवरण एवं शैक्षिक सत्र 2017–18 में सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क संरचना सप्रमाण एवं डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किये गये विवरण की नेट कापी प्रधानाचार्य / निदेशक द्वारा हस्ताक्षर युक्त अभिलेख दिनॉक 31.07.2017 तक अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपकी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके । समयान्तगर्त वॉछित अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आपके महाविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ न मिल पाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान का होगा। उक्त सम्बन्धित किसी प्रकरण पर अन्य जानकारी विश्वविद्यालय के हेल्प लाइन नम्बर 95 65 99 99 25 पर प्राप्त की जा सकती है ।

भवदीय

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव